न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ (अलवर)

रामदास वगै0 बनाम कर्मचन्द वगै0

प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
09.01.2023	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट वकील सायलान द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायलान ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, जमाबंदी संवत् 2073–2076 व अन्य दस्तावेजात् की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता सायलान की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात् एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाने की शर्त पर उभय पक्षकारान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.01.2023 तक पाबन्द किया जाता है कि आ0ख0नं0 325,326,327,510,511,461,556,557,580 व ख0नं0 582 वाके ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 31.01.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे ? पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो । गैरसायलान को जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 31.01.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ(अलवर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0 31-1-23 पत्रावली पेश। P.O. साहब ...अवकाश... पर ....है। पत्रावली दिनांक ..23-2-23.. को पेश हो। रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
25.10.23	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक........................ की पालना में पत्रावली वास्ते शेषथी तलबी दिनांक 08.11.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)
08.11.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20.12.23 को पेश हो। रीडर
20.12.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब कैम्प कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 09.1.24 को पेश हो। रीडर
09.01.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब...4B.S.Y......... कैम्प कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 06/02/24 को पेश हो। रीडर
06.2.24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दीर्घावधि से अप्रार्थीगण की तलबी में है। तलबी हेतु इस आशय से अनेक अवसर प्रदान किये गये है कि पुन फ्रेश तलबाना पेश करे। इसके उपरांत तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में भी अनेक अवसर प्रदान किये गये है। परन्तु तलबाना पेश नहीं किया गया है। अत: सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में प्रार्थना पत्र- 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर नम्बर से कम हो बाद तासिल तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०